<u>न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कं.—86 / 2011</u> संस्थित दिनांक—23.02.2011 फाईलिंग क 234503000712011

कैलाश पटले पिता उरकुड़ पटले, उम्र—32 वर्ष, निवासी—ग्राम कोहका, थाना बैहर, हाल मुकाम—ग्राम खुरमुण्डी, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

> ______ <u>आरोपी</u> // <u>निर्णय</u> // <u>(आज दिनांक—30/07/2016 को घोषित)</u>

आरोपी के विरूद्ध धारा–24 म.प्र. आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम 1987 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304ए के तहत् आरोप है कि उसने दिनांक-02.08.2010 को 02:50 बजे ग्राम टिकरिया, अंतर्गत थाना बैहर में कुमारी सुनीताबाई का ईलाज ऐलापैथिक पद्धति से कर दवाई एवं इंजेक्शन लगाया, जिसके लिए वह धारा-11 म.प्र. आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम 1987 के अंतर्गत पंजीबद्ध नहीं थे, बिना वैध अनुज्ञप्ति के कुमारी सुनीताबाई का ईलाज उपेक्षापूर्ण रीति से ऐलीपैथिक पद्धति से कर दवाई व इंजेक्शन लगाकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की जो मानव वध की कोटि में नहीं आती है। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि शासकीय अस्पताल बालाघाट 2-के वार्ड ब्वाय ने एक लिखित तहरीर पुलिस थाना बैहर में प्रस्तुत की जिसमें सुनीताबाई पिता अमानसिंह धुर्वे की मृत्यु की दिनांक-27.08.2010 को होने की सूचना थी। सूचना प्राप्त होने पर मर्ग कमांक-48 / 10, अंतर्गत धारा-174 द.प्र.सं. की जांच में साक्षी शारदा, सिनिया, रनचीबाई, अमानसिंह से पूछताछ में यह जानकारी प्राप्त हुई कि कुमारी सुनीताबाई को पीठ दर्द होने के कारण डॉक्टर कैलाश पटले ने दो इंजेक्शन लगाए थे, किन्तु तबीयत ठीक नहीं होने से सुनीताबाई को बैहर में ईलाज हेतु ले जाया गया। तबीयत बिगड़ जाने से उसे बालाघाट अस्पताल लेकर गए, जहां दिनांक—27.08.2010 को उसकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-5 / 11, धारा-304ए भा.द.वि. एवं धारा–21, 24 म.प्र. आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम वर्ष 1987 पंजीबद्ध कर मामलें की विवेचना की गई। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए तथा आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय समक्ष पेश किया गया।

3— आरोपी को धारा—24 म.प्र. आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम 1987 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304ए के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 द. प्र.सं. के तहत किए गये अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया, परंतु बचाव साक्ष्य नहीं दी।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :--

- 1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक—02.08.2010 को 02:50 बजे ग्राम टिकरिया, अंतर्गत थाना बैहर में कुमारी सुनीताबाई का ईलाज ऐलापैथिक पद्धति से कर दवाई एवं इंजेक्शन लगाया, जिसके लिए वह धारा—11 म.प्र. आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम 1987 के अंतर्गत पंजीबद्ध नहीं थे ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के कुमारी सुनीताबाई का ईलाज उपेक्षापूर्ण रीति से ऐलीपैथिक पद्धित से कर दवाई व इंजेक्शन लगाकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की जो मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

विचारणीय बिन्दुओं का निष्कर्ष:-

- 5— साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 6— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी शारदा बाई (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को पहचानती है। आरोपी उसके गांव में इंजेक्शन लगाने आता था। मृतक सुनीताबाई उसकी पुत्री थी। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व की है। उसकी पुत्री को बुखार आ गया था, तब उसने आरोपी डॉक्टर को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री को इंजेक्शन लगा दो, तब आरोपी ने उसकी पुत्री को दो इंजेक्शन लगा दिये और चार गोलियां दी और कहा कि वह कल भी उसकी पुत्री को देखने आएगा। अगले दिन वह खेत गई थी, तब आरोपी उसके घर आया और आरोपी ने कहा कि सुनीताबाई को अस्पताल लेकर जाओ, तब उसने अपने पित अमानसिंह धुर्वे को यह बात बताई और उसकी पुत्री को बैहर ले जाने के लिए कहा, उसने अपनी पुत्री को बैहर में चिकित्सक कुमरे को बताया तो चिकित्सक ने कहा कि उसकी पुत्री को इंजेक्शन का रियेक्शन हो गया है। इसके बाद सुनीताबाई को बालाघाट अस्पताल लेकर गए जहां उसकी पुत्री की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आरोपी की गलती से उसकी पुत्री की मृत्यु हुई थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटना 27

तारीख सावन माह की है। आरोपी डॉक्टर ने जब इंजेक्शन लगाया था, तब वह और उसका पित मौजूद थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी से बचाव पक्ष ने यह प्रश्न किया है कि आरोपी ने सुनिताबाई को अस्पताल ले जाने के लिए कहा था तो साक्षी ने स्पष्ट किया है कि आरोपी ने इंजेक्शन लगाने के बाद कहा था कि सुनीताबाई को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। साक्षी ने यह भी कहा है कि आरोपी के इंजेक्शन लगाने के बाद दो—तीन दिन तक बैहर अस्पताल ईलाज हेतु ले जाया गया था। साक्षी ने स्पष्टतः इंकार किया है कि इंजेक्शन लगाने के 15—20 दिन बाद सुनीताबाई को बालाघाट लेकर गए थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि चिकित्सक कुमरे ने इंजेक्शन का रियेक्शन होने की बात उसे बताई थी। यह बात उसने पुलिस को कथन देते समय बता दी थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि चिकित्सक कुमरे द्वारा 4—5 दिन तक उसकी पुत्री को इंजेक्शन तथा दवाईयां दी गई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी द्वारा किये गए ईलाज और डॉक्टर कुमरे द्वारा किये गए ईलाज के समय उसकी पुत्री की मृत्यु होने की संभावना प्रतीत नहीं हो रही थी।

- 7— डॉ. निलय जैन (अ.सा.12) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—27.08.2010 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना बैहर के आरक्षक द्वारा मृतक सुनीता के शव को परीक्षण हेतु लाया गया था। शव का बाह्य परीक्षण करने पर उसने उसकी चारों भुजाओं में राईगर्स, बांये कूल्हे पर बांये बटक्स में घाव पाया था। इसके अलावा अन्य कोई चोट नहीं थी। शव का आंतरिक परीक्षण किये जाने पर उसने उसके दाहिने एवं बांये फेफड़े को पेल पाया था। हृदय का बांया चेम्बर खाली था, सीधे चेम्बर में ब्लड था। साक्षी ने अपने अभिमत में कहा है कि मृत्यु का कोई भी स्पष्ट कारण नहीं दिया जा सकता। इस कारण मृतक का विसरा रासायनिक परीक्षण हेतु पुलिस को सौंप दी गई थी। मृतक की मृत्यु उसके द्वारा की गई जांच के 12 घंटे के अंदर होना संभावित थी। उसके द्वारा तैयार परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—14 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं।
- 8— डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.६) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—09.08.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में विरष्ट चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को कुमारी सुनीता पिता अमानसिंह, उम्र—11 वर्ष, निवासी ग्राम टिकिरया, थाना बैहर को भर्ती किया गया था, जिसकी भर्ती टिकट कमशः प्रदर्श पी—8 एवं प्रदर्श पी—9 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त दिनांक को ही उसने आहत सुनीता को बालाघाट ईलाज हेतु रेफर किया था। रेफर पर्ची प्रदर्श पी—10 है, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आहत को उसके द्वारा इंजेक्शन एब्सेस दोनों कूल्हे पर एवं मल्टीपल पस पाकेट सीने और दोनों हाथ पर होने से भर्ती किया गया

था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि नुकीली चीज गड़ जाने से आहत को पस बन सकता था। साक्षी ने कहा है कि दबा के रियेक्शन से इस प्रकार लक्षण होते हैं। साक्षी ने यह भी कहा है कि इंजेक्शन लगने के बाद उसका प्रभाव जब उसने मरीज को देखा था, तब वह कितनी अवधि का रियेक्शन था, यह बात वह नहीं बता सकता।

9— वाय.के. साहू (अ.सा.11) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—09.01.2011 को थाना बैहर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मृतक सुनीताबाई के मर्ग इंटीमेशन कमांक—48/10, अंतर्गत धारा—174 द.प्र.सं. की रिपोर्ट पर आरोपी केलाश पटले के विरूद्ध धारा—304 ए भा.द.वि. एवं धारा—21, 24 म.प्र. आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम वर्ष 1987 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जो प्रदर्श पी—13 है, जिसके ए से ए व बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—4 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी दिनांक को साक्षीगण के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया की पीड़ित के घरवालों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने मौकानक्शो की कार्यवाही प्रदर्श पी—4 थाने में बैठकर की थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसने गवाहों के बयान अपने मन से लेख किये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी ने मृतक का ईलाज किया था या नहीं।

10— जगदीश (अ.सा.८) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—27.08.2010 को शासकीय अस्पताल बालाघाट चौकी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा मृतक कुमारी सुनीता पिता अमनसिंह धुर्वे, जाति गोंड, उम्र—11 वर्ष, निवासी ग्राम टिकरिया, थाना बैहर के शव का विसरा जिसमें एक सील बंद बर्नी में छोटी आंत और बड़ी आंत एवं पदार्थ दूसरी एवं सील बंद बर्नी में लंस लीवर किडनी हार्ट स्पीलिंग एक सील बंद बर्नी में नमक का घोल उसके द्वारा गवाह अमनसिंह एवं रामू के समक्ष पेश किया गया था, जो प्रदर्श पी—3 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी अमानसिंह धुर्वे (अ.सा.2) ने कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व की है। उसकी पुत्री को बुखार आया था, तब उसने आरोपी को अपनी पुत्री के ईलाज हेतु बुलाया था। आरोपी ने उसे उसकी पुत्री को अस्पताल ले जाने के लिए कहा था। उसने अपनी पुत्री को बैहर अस्पताल में भर्ती कराया था और इसके पश्चात् बालाघाट अस्पताल में उसकी पुत्री का ईलाज हुआ था, परंतु दिनांक—27.08.2010 को उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। साक्षी ने

कहा है कि उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्श पी—1 पुलिस को लेख कराने से इंकार किया। नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी—2, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—3, मौकानक्शा प्रदर्श पी—4 पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं, परंतु यह कहा है कि उसने पुलिस को घटनास्थल के बारे में नहीं बताया। साक्षी ने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ था कि आरोपी के ईलाज के कारण उसकी पुत्री की मृत्यु हुई थी। साक्षी ने कहा है कि आरोपी आया था और उसने मरीज को अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी। परंतु पैसे की कमी होने से वह अपनी पुत्री का ईलाज नहीं करा सका और उसकी पुत्री की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जब आरोपी को उसने बुलाया था, तब उसकी पत्नी खेत गई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी ने उसकी पुत्री का ईलाज नहीं किया था और कहा था कि मरीज को अस्पताल लेकर गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी पुत्री का पहले बैहर अस्पताल में 2—3 दिन ईलाज किया गया था और इसके पश्चात् बालाघाट में भर्ती किया था, परंतु सही तरीक से ईलाज न होने से उसकी मृत्यु हो गई। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी पुत्री की मृत्यु होने में आरोपी का कोई दोष नहीं है।

- 12— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी रनचीबाई (अ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को नहीं पहचानती। मृतक सुनीता को पहचानती है। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व की है। सुनीता को बुखार आया तब उसे बैहर अस्पताल लेकर गये थे। इसके बाद क्या हुआ, इसकी उसे जानकारी नहीं है। पुलिस को उसने बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी—5 पुलिस को नहीं लेख कराया जाना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह अपनी ससुराल में रहती है। घटना उसके मायके की है, इसलिए उसे घटना की जानकारी नहीं है।
- 13— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सुनियाबाई (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को नहीं पहचानती। मृतक सुनीता को पहचानती है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी—6 पुलिस को लेख कराने से इंकार किया।
- 14— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी कोदूलाल (अ.सा.5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। वह मृतक और प्रार्थी को भी पहचानता है। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व की है। मृतक सुनीता को बुखार हुआ था और जब बीमारी बढ़ गई तो उसे बैहर डॉक्टर कुमरे के पास लाया गया था।

डॉक्टर कुमरे ने सुनीता का ईलाज किया और फिर उसे बालाघाट ईलाज के लिए भेज दिया। सुनीता की बीमारी बढ़ती गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसके बयान लेख नहीं किये थे। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—7 पुलिस को लेख नहीं कराना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि अमनसिंह ने आरोपी कैलाश द्वारा इंजेक्शन लगाने की बात उसे नहीं बताई थी।

15— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी रामू (अ.सा.9) व सतीश (अ.सा.10) ने कहा है कि उनके समक्ष जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कहा है कि जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—3 पर उसके हस्ताक्षर है, परंतु मृतक सुनीता की छोटी आंत, बड़ी आंत की जप्ती की कार्यवाही उसके समक्ष नहीं हुई थी। साक्षी सतीश भाटिया (अ.सा.10) ने कहा है कि उसके सामने आरोपी से होम्योपैथिक मेडीसीन से संबंधित दस्तावेज पुलिस ने जप्त नहीं किये थे, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—11 व 12 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

घटना के विषय में अभियोजन साक्षी शारदाबाई (अ.सा.1) ने यह कहा है कि आरोपी ने उसकी पुत्री को दो इंजेक्शन लगाए थे और चार गोलियां दी थी और यह भी कहा था कि वह अगले दिन उसकी पुत्री को देखने आएगा। प्रतिपरीक्षण में साक्षी इस बिन्दु पर अखिण्डत रही है कि आरोनी ने उसकी पुत्री को इंजेक्शन नहीं लगाया था अथवा आरोपी ने उसकी पुत्री का ईलाज नहीं किया था, परंतु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि जब आरोपी उसके घर आया था तब इंजेक्शन लगाते समय उसकी छोटी लड़की तथा उसका पति भी मौके पर थे। घटना के विषय में साक्षी अमानसिंह (अ.सा. 2) जो मृतक सुनीता का पिता है ने संपूर्ण घटना से स्पष्टतः इंकार करते हुए यह कहा है कि आरोपी को वह अपनी पुत्री के ईलाज के लिए बुलाकर लाया था और आरोपी ने आकर यह सलाह दी थी कि वह अपनी पुत्री को लेकर बेहर अस्पताल जाए। साक्षी ने यह भी स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि आरोपी द्वारा किसी प्रकार का ईलाज किया जाने से उसकी पुत्री की मृत्यु हुई थी। साक्षी अमानसिंह (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जब उसने आरोपी को अपने घर बुलाया था तब उसकी पत्नी खेत में थी। इस प्रकार मौके पर उपस्थित साक्षी शारदाबाई (अ.सा.1) तथा अमनसिंह (अ.सा.2) के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। यदि अन्य साक्षियों के न्यायालयीन परीक्षण पर विचार करें तो साक्षी रंचीबाई (अ.सा.3) व सुनियाबाई (अ.सा.4), कोदूलाल (अ.सा.5) ने घटना के विषय में जानकारी नहीं होना व्यक्त किया। उपरोक्त साक्षियों ने कहा है कि जब मृतक सुनीता का बुखार बढ़ गया तब उसे बैहर में चिकित्सक कुमरे के पास लाया गया, परंतु बीमारी बढ़ जाने से सुनीता की मृत्यु हुई थी। चिकित्सक साक्षी निलय जैन (अ.सा.12) ने मृतक सुनीता की मृत्यु के विषय में स्पष्ट अभिमत नहीं देते हुए यह कहा है कि मृतक का विसरा रासायनिक जांच हेतु प्रेषित किया था। इस जांच के पश्चात् रासायनिक जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण में चिकित्सक डॉ. कुमरे ने भी प्रतिपरीक्षण में कहा है कि इंजेक्शन के रियेक्शन का रियेक्शन होने से उसने सुनीता का ईलाज किया था, परंतु उसने बाद में सुनीता को बालाघाट रेफर कर दिया था। इस प्रकार यदि संपूर्ण घटनाकम पर विचार करें तो सुनीता का बैहर में 2—3 दिन तक ईलाज चिकित्सक द्वारा किया गया एवं उसके पश्चात बालाघाट अस्पताल में ईलाज किये जाने के दौरान सुनीता की मृत्यु हुई थी।

- इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत सुलेमान विरुद्ध 17— महाराष्ट्र राज्य 1968 सी आर एल जे 1013 तथा राज्य विरुद्ध सी अंगद्दी ए आई आर 1969 गोआ 39 अवलोकनीय है। अपने न्यायदृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि <u>"There must be direct nexus</u> between the death of the person and rash and negligent act. Remote nexus is not enough. । इस प्रकार मृतक की मृत्यु आरोपी द्वारा प्रत्यक्ष उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से किये गये कृत्य से होना आवश्यक है। प्रकरण में आरोपी कैलाश पटले ने मृतक सुनीता को इंजेक्शन लगाया था या गोलियां दी थी, जिससे उसे रियेक्शन हुआ था, यह बात संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रही है, क्योंकि मात्र अभियोजन साक्षी शारदाबाई (अ.सा.1) ने ही गोलियां देना व इंजेक्शन लगाना कहा है, जबकि अमानसिंह (अ.सा.2) व अन्य साक्षी रंचीबाई (अ.सा.3), सुनियाबाई (अ.सा.4), पतिराम (अ.सा.5) जो घटना के समय मौजूद थे, उन्होंने आरोपी द्वारा मृतक सुनीता का ईलाज करना अथवा इंजेक्शन लगाने की बात से पूर्णतः इंकार किया है। उपरोक्त स्थिति में आरोपी द्वारा धारा—24 म.प्र. आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम 1987 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा–304ए का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। फलस्वरूप आरोपी को उपरोक्त धाराओं में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।
- 18— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437(क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।
- 19— प्रकरण में आरोपी दिनांक—23.02.2011 से दिनांक—25.02.2011 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। उक्त के संबंध में धारा—428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

20— प्रकरण में जप्तशुदा चिकित्सा प्रमाणपत्र आरोपी को अपील अवधि पश्चात् लौटाए जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

बैहर, दिनांक-30.07.2016 मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही / –

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

ATTARIAN STANDAR SUNTAN SETS SHIPTING S